

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक
सेवा में,

1639 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, जनवरी 4, 2015

अपर प्रमुख वन संरक्षक, / नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर अर्थात् 0.024996 हेक्टर भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निजी वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 278/12-1(1) दिनांक 05-8-2015 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव आपको पूर्व में प्रेषित किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ने अवगत कराया है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक-1975/1जी-5040 (देहरादून) दिनांक 13-01-2015 से उक्त प्रस्ताव प्रस्तावक श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता को ऑन लाईन प्रेषित करने के लिए लिखा गया था। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ने अपने पत्रांक 2031 / 12-1 दिनांक 18-11-2015 के द्वारा प्रस्तावक के द्वारा ऑन लाईन किये गये प्रस्ताव के क्रम में अपने स्तर से अपेक्षित प्रारूपों में वांछित सूचना भरते हुए उपरोक्त प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है।

विषयांकित प्रस्ताव में बाधित हो रहे कुल 03 वृक्ष जिसमें 01 बांज प्रजाति का वृक्ष सम्मिलित है, का स्थलीय निरीक्षण श्री आर०के०मिश्र, वन संरक्षक द्वारा दिनांक 21-7-2015 को किया गया है तथा इस संबंध में भाग-3 में टिप्पणी / संस्तुति यथा स्थान अपलोड की जा रही है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 278/12-1(1) दिनांक 05-8-2015 के द्वारा आपको प्रेषित प्रस्ताव संबंधी पत्र भी ऑन लाईन प्रेषित किया गया था।

अतः अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(भुवन चन्द्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1639(1)/12-1(1) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग को उनके पत्रांक 2031 / 12-1 दिनांक 18-12-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भुवन चन्द्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक
सेवा में,

278 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, उत्तराखण्ड, 05, 2014

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर अर्थात् 0.024996 है0 भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निजी वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 5883/12-1 दिनांक 11-06-014 द्वारा जनपद देहरादून में मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.9 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर भाग में आवासीय भवन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की भू-प्रत्यावर्तन की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के स्तर से प्रेषित प्रस्ताव में कथित भूखण्ड में प्रस्तावित आवासीय भवन के स्थल का संयुक्त निरीक्षण वनक्षेत्राधिकारी, मसूरी रेंज, संबंधित क्षेत्र के वनदरोगा तथा वन बीट अधिकारी, प्रस्तावक एवं नगरपालिका परिषद के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 31-10-2013 तथा 11-11-2013 को किया जाना सूचित है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 03-06-2014 को करते हुए अन्य कोई विकल्प न होने हेतु तथा गैर वानिकी कार्य के प्रयोजन हेतु न्यूनतम भूमि होने के संबंध में प्रत्यावर्तन की संस्तुति की है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ने सूचित किया है कि प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण स्थल पर तीन वृक्ष बाधक हैं, जिसमें बांज प्रजाति का एक वृक्ष बाधक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के साथ दिनांक 21-7-2014 को किया गया है। स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी प्रपत्र भाग III के अगले पृष्ठ में की गयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी के अभिमत / संस्तुति के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र भाग III तथा बांज प्रजाति के वृक्ष के संबंध में टिप्पणी अंकित कर पदनाम समूह हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव चार प्रतियों में आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय
(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या 278 (1) /

उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को उनके पत्रांक 5883 / 12-1 दिनांक 11-06-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी फ्लैट नं0 एच-401, दून ट्रेफ़लगर, धोरणखवास देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

भाग-III
(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरात जाना है ।)

कार्य का नाम- जनपद-देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर अर्थात् 0.024996 है0 भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निजी वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी हाँ, आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भू-खण्ड स्थल का निरीक्षण श्री धीरज पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के साथ दिनांक 21-7-2014 को किया गया। मौके पर कुल 25 वृक्ष अवस्थित खड़े हैं, जिनमें 03 वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक हैं। निरीक्षण टिप्पणी अगले पृष्ठ में चरप्पा की गई है।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	प्रस्तावक के द्वारा भू-गर्भ शास्त्री द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप ही भवन निर्माण कार्य किए जाने की सहमति के परिप्रेक्ष्य में एवं Rain water Harvesting व्यवस्था कराये जाने की शर्त के साथ प्रस्ताव संस्तुति सहित विचारार्थ प्रेषित है।

दिनांक - 05-8-014
स्थान - जुलै 2014
देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम - (आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
यमुना वृत्त, देहरादून ।

जनपद -

जनपद-देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता, पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है० भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निजी वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक प्रस्ताव में बांज प्रजाति के वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी।

निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 21-07-2014

भूमि का प्रकार	प्रजाति	स्थल पर अवस्थित वृक्षों का प्रजातिवार विवरण											योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	योग			
श्रीनगर इस्टेट नगर पालिका परिषद, मसूरी में अधिसूचित वनस्वरूप भूमि	मसूरी रेंज	बांज	03	09	05	2	0	0	0	0	0	19	
		कौल	0	01	01	0	0	0	0	0	0	02	
		पडंग	0	0	01	0	0	0	0	0	0	01	
		शहतूत	01	0	0	0	0	0	0	0	0	01	
		पदम	0	0	01	0	0	0	0	0	0	01	
		अखरोट	0	01	0	0	0	0	0	0	0	01	
	योग	04	11	08	02	0	0	0	0	0	0	25	

प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड के निर्माण स्थल में बाधित वृक्ष विवरण

भूमि का प्रकार	प्रजाति	स्थल पर बाधित वनों का प्रजातिवार विवरण										योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90			
श्रीनगर इस्टेट नगर पालिका परिषद, मसूरी में अधिसूचित वनस्वरूप भूमि	मसूरी रेंज	बांज	0	01	0	0	0	0	0	0	01	
		पडंग	0	0	01	0	0	0	0	0	01	
		शहतूत	01	0	0	0	0	0	0	0	01	
	योग	01	01	01	0	0	0	0	0	0	03	

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित आवासीय निर्माण भूखण्ड का स्थलीय निरीक्षण श्री धीरज पाण्डेय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के साथ दिनांक 21-7-2014 को किया गया। स्थल पर विभिन्न प्रजाति ब्यासवर्ग के कुल 25 वृक्ष अवस्थित खड़े हैं। अवस्थित वृक्षों का प्रजातिवार, ब्यासवर्गवार विवरण उपरोक्त सारिणी में दिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को मौके पर अवस्थित समस्त वृक्षों को ब्लैक जापान अथवा पेन्ट से नम्बरिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रस्तावित आवासीय निर्माण कार्य में बाधक 03 वृक्ष उपरोक्त सारिणी में प्रजातिवार, ब्यासवर्गवार दिये गये हैं, जिसमें एक 01 वृक्ष बांज प्रजाति का 20-30 ब्यासवर्ग का सम्मिलित है। उक्त वृक्षों को पातन किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(आर०के०मिश्र)
वन संरक्षक,
मसूरी नगर पालिका, देहरादून।